झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :— 1/पी०एम०सी०/कार्य/775/2013— .... राँची, दिनांक— :—.....................

प्रेषक,

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

ई० मुक्तिसाधन चौरसिया,
सरकार के उप सचिव (अभि०)।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :— **गोड्डा जिलान्तर्गत त्रिवेणी वीयर योजना के जीर्णोद्धार तथा मुख्य नहर के चेन सं० 0.00 से 1008 चेन तक पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य (ई०आर०एम०) के लिए रू० 6065.50 लाख (रूपये साठ करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन गोड्डा जिला में त्रिवेणी नदी पर डाड़े ग्राम में अवस्थित त्रिवेणी वीयर योजना के जीर्णोद्धार तथा मुख्य नहर के चेन सं० 0.00 से 1008 चेन तक पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य (ई०आर०एम०) के लिए रू० 6065.50 लाख (रूपये साठ करोड़ पैंसठ लाख पचास हजार मात्र) के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. त्रिवेणी वीयर योजना के मुख्य नहर का कुल जलश्राव 300 क्यूसेक एवं कुल रूपांकित क्षमता 10000 हे० है।

4. त्रिवेणी वीयर योजना के मुख्य नहर के चेन सं०— 0 से 1008 चेन तक लाईनिंग कार्य से Transmission Loss को कम किया जा सकेगा, साथ ही नहर के अंतिम छोर तक पानी पहुँचाने से 7000 हे० ह्रासित सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल होगी। मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य से प्रत्येक वर्ष नहरों के वार्षिक रख—रखाव पर होने वाले व्यय को कम किया जा सकेगा।

5. मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची के पत्रांक— 134 दिनांक 09.03.2015 द्वारा 3 ईंच पी०सी०सी० लाईनिंग कार्य के लिये आलेख्य का vetting किया गया है, जिसमें कार्य के पूर्व Sub-grade का permeability test कराया जाना है। विभागीय निर्णय के आलोक में पी०सी०सी० लाईनिंग हेतु 4 ईंच मोटाई कंक्रीट लाईनिंग का कार्य किया जायेगा।

6. इस योजना के ई०आर०एम० कार्य को वर्ष 2015–16 में प्रारंभ कर वर्ष 2017–18 तक पूर्ण किया जायेगा। पूर्ण योजनाओं के ई०आर०एम० कार्यों हेतु वर्ष 2015–16 में रू० 5270 लाख का बजट प्रावधान है।

7. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक् रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

8. कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्री लेवल की जाँच असंबद्ध प्रमण्डल द्वारा एवं Sub-grade का permeability test कराया जायेगा।

9. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर महगामा होंगे तथा अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, दुमका एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

10. इस योजना में होने वाला व्यय (i) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –800–अन्य व्यय, उप शीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री)

(ii) मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–54–पूर्ण सिंचाई योजना का ई०आर०एम० विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 43–अनुरक्षण, मरम्मति एवं सुसज्जीकरण (सामग्री) के अंतर्गत विकलनीय होगा।

11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय उपायुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. कार्य के लिये राशि की निकासी गोड्डा कोषागार, गोड्डा से की जायेगी।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–300 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

15. प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

16. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृत समिति की स्वीकृति प्राप्त है।

17. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति की प्रत्याशा में माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड द्वारा अनुमोदन प्राप्त है।

18. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

19. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(मुक्तिसाधन चौरसिया)

सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/775/2013– .... राँची, दिनांक– :–......................

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/775/2013– .... राँची, दिनांक– :–......................

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, गोड्डा कोषागार, गोड्डा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

78/15-16 प्र.वि.

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/775/2013– .... राँची, दिनांक– :–29.03.2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, जल पथ अंचल, दुमका/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, गोड्डा शिविर महगामा/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/3/2016

(मुक्तिसाधन चौरसिया)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

29/03/16